Nagar, New Delhi. They report that action against the unauthorised construction has been taken in all the cases. 21 complaints of unauthorised construction were registered in the year 1992 and 8 in 1993, alleging connivance in action on the part of the MCD officials. Out of these 29 complaints, 7 complaints relate to the properties situated in B, C and N Block. In 8 cases connivance/inaction on the part of the MCD officials could not be substantiated and the cases have since been closed. Investigation in respect of 20 cases is still in progress with MCD. In 1 case the disciplinary authority has ordered for initiating of major penalty against one official and recordable warning against another official.

प्राधिकरण के पास पंजीकृत आवेदक

2171. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 84,500 आवेदक पंजीकृत हैं जिन्होंने निर्मित मकानों या आवासीय भूखण्डों के लिये आवेदन किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार ऐसे आवेदकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) इन आवेदकों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुल कितनी राशि जमा कराई गई है ;

(घ) क्या प्राधिकरण इन आवेदकों को एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर मकानों या आवासीय भूखण्डों का आवंटन कर देने के बारे में वचन देने की स्थिति में है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्राधिकरण द्वारा इन आवेदकों की राशि अपने कोष में रखने का क्या औचित्य है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1993 को 63,446 पंजीकृत व्यक्ति निर्मित फ्लेटों और 39,579 पंजीकृत व्यक्ति भूखण्डों के आवंटन की प्रतीक्षा में थे।

(ग) पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा 31-3-1993 तक पंजीकृत राशि के रूप में जमा की गई कुल धनराशि 69.49 करोड़ रुपये बतायी गई है ।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यदि भूमि बुनियादी सुविधायें तथा सेवायें उपलब्ध हुई तो सभी पंजीकृत व्यक्तियों को 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान फ्लैट/भूखण्ड आवंटित किये जाने की संभावना है ।

Allocation of Funds for improving Public Conveniences

2172. SHRI ISH DUTT YADAV : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the total amount allocated by the Central Government to Uttar Pradesh for improving public conveniences in the State during the last three years together with the amount actually spent for this purpose; and

(b) what is the number of schemes regarding public conveniences pending with the Central Government together with the action taken for their early clearance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGAN) : (a) There is no centrally sponsored scheme for improving public conveniences in the States.

(b) Question does not arise.